कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/रजीगृ/डीपीसी 20–21 दिनांक 02.02.2021 द्वारा पदोन्नति उपरान्त जयदीप जाखड़ का पदस्थापन राउमावि बासनी हरिसिंह, भोपालगढ़, जोधपुर में व्याख्याता रसायन विज्ञान के पद पर किया गया। जयदीप जाखड़ द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 5524/ 2021 जयदीप जाखड़ बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 5524/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकः 29.11.2021 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित किए जाने के निर्देश प्रदान किए है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में जयदीप जाखड़ द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पत्नी के झुंझुनू जिले में कार्यरत होने के आधार पर अपना समायोजन श्री काडिया राउमावि केड, झुंझुनू अथवा राउमावि रघुनाथपुरा, झुंझुनू में किए जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी लोक सेवक द्वारा अपने इच्छित स्थान पर ही पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवे।

Rajasthan Education Department

(काना राम)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–4/रजीगृ/जयदीप जाखड/5524/को.के/21 दिनांकः– 18.02.22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ), जयपुर/जोधपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. संबंधित संस्था प्रधान।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।
9. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्पयुटर अनुभाग।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर